राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प0 3(3)साप्र/6/2008 पार्ट जयपुर, दिनांक 23 AUG 2018

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल महोदय उन समस्त शक्तियों का, जो उन्हें इस निमित्त सक्षम बनाती है, का प्रयोग करते हुए राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम, 2008 में और संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :– (I) इन नियमों का नाम राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 है।
   (II) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
2. उक्त नियमों में विद्यमान नियम 10 (ग) एवं (घ) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात :–
   "(ग) पेंशन की दर :– पैरा 10(क) में वर्णित सभी मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बंदियों को एवं दिवंगत मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बंदियों की पत्नी/पति को रूपये 20,000/–(अक्षरे रूपयें बीस हजार मात्र) मासिक पेंशन देय होगी।"
   "(घ) यह और कि किसी मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बंदियों को एवं दिवंगत मीसा/डी.आई. आर./सी.आर.पी.सी. बंदियों की पत्नी/पति, पेंशनर को पेंशन के साथ रूपये 4,000/–(अक्षरे रूपये चार हजार मात्र) प्रतिमाह चिकित्सा सहायता नकद देय होगी, जिसके लिए किसी प्रकार के चिकित्सा व्यय पुनर्भरण बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।"
3. उक्त नियमों में विद्यमान नियम 11 में निम्नानुसार संशोधन एवं प्रावधान जोडा जाता है, अर्थात् :–
   "11.3 उक्त नियमों के अन्तर्गत पेंशन एवं चिकित्सा सहायता प्राप्त कर रहे लोकतंत्र सेनानियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निगम की लोकल एवं एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा के पास दिये जायेंगे।"

राज्यपाल के आदेश से,

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव/निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. समस्त निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान।
3. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्तगण, राजस्थान।

कृ.पृ.उ.

6. प्रबंधन निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. वित्त (व्यय–2) विभाग।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग।
11. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
12. अधीक्षक, केन्द्रीय राज्य मुद्रणालय, जयपुर को आज ही राजपत्र में प्रकाश हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव